राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3( )/आ.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्व/2020–21/ दिनांक :

परिपत्र

प्रायः देखा गया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्मिक व आश्रित परिवार के सदस्यों के गंभीर बीमारियों से ग्रसित प्रकरणों में चिकित्सा मद अन्तर्गत बजट/अतिरिक्त बजट/विशिष्ट बजट आवंटन हेतु मुख्यालय स्तर पर बजट की मांग प्रस्तुत की जाती है लेकिन अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा सम्बन्धित बीमारी/बीमारियों के संबंध में पूर्ण ब्यौरा जैसे मेडीकल बिल, डाक्टर द्वारा दवाईयों हेतु जारी Prescription जांच रिपोर्ट, अस्पताल में भर्ती होने की दशा में डिस्चार्ज विवरण, बीमारी की वर्तमान अवस्था में आवश्यक इलाज के लिए चिकित्सक का प्रमाण–पत्र/Prescription जो कि चिकित्सक द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है, आदि प्रपत्र बजट मांग पत्र के साथ संलग्न नहीं किये जाते है। बहिरंग उपचार की दशा में भी गंभीर बीमारियों के संबंध उक्तानुसार दस्तावेज/प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से वांछित होते है।

बहिरंग सामान्य उपचार की दशा में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बजट आवंटन की मांग प्रस्तुत करते समय कार्यालयों में लम्बित बिलों की सूची, लम्बित रहने के कारण एवं यदि बिल कालातीत हो गये है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्री–चैक किये जाकर ही विभाग में तदनुसार बजट की मांग प्रस्तुत की जावें।

अतः भविष्य में चिकित्सा व्यय मद में बजट की मांग के लिए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी से नियमानुसार परीक्षण उपरान्त ही बजट आवंटन हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जावें, ताकि चिकित्सा मद अन्तर्गत सीमित बजट प्रावधान की स्थिति में विशिष्ट चिकित्सा परिचर्या प्रकरणों में आवश्यक होने पर वित्त विभाग से भी अतिरिक्त बजट की मांग की जा सके।

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : प.3( )/आ.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्व/2020–21/2918-3117 दिनांक : 07/08/20

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. प्राचार्य, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा/उप.नि.कृ.(प्रशिक्षण)टोंक।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (पौध व्याधि/वनस्पति/गुण नियंत्रण), दुर्गापुरा जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (खण्ड) ....।
5. समस्त उप निदेशक, कृषि (गुण नियंत्रण)/मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला) ....।
6. उप निदेशक, कृषि (खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र) कोटा।
7. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) ....।
8. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् ....।
9. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी ....।
10. उप निदेशक, कृषि (शष्य) मलिकपुर/चित्तौडगढ़/छत्रपुरा/बूंदी/करणपुर/तबीजी/रामपुरा जोधपुर/हनुमानगढ़/लूणकरणसर/उप निदेशक, कृषि (रसायन), जोधपुर।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को कृषि विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध करवावें।

वित्तीय सलाहकार